



प्रेस विज्ञप्ति

09-11-2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 28.10.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष किरण पटेल पुत्र जगदीश भाई पटेल निवासी अहमदाबाद, गुजरात के विरुद्ध अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है और आरोपी किरण पटेल को 27/11/2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस भी जारी किया है।

ईडी ने निशात पुलिस स्टेशन, श्रीनगर द्वारा किरण पटेल और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि किरण पटेल ने खुद को पीएमओ में अतिरिक्त निदेशक (रणनीति एवं अभियान) बताया और फर्जी पहचान बताकर फर्जी विजिटिंग कार्ड बनाए/छपवाए ताकि लोगों को ठगने तथा अपराध से अर्जित धन जुटाने के अपने गुप्त मकसद को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, उक्त फर्जी विजिटिंग कार्डों का उपयोग करके और प्रतिरूपण करके, उसने न केवल जम्मू-कश्मीर सरकार के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से अवैध रूप से सुरक्षा का लाभ उठाया, जिससे संसाधनों का नुकसान हुआ और राज्य के खजाने को मौद्रिक नुकसान हुआ, बल्कि उसने गुजरात के भोले-भाले व्यापारियों को धोखा दिया और कश्मीर घाटी में व्यापार के अवसर प्रदान करने का झूठा वादा करके अनुचित लाभ प्राप्त किया।

इससे पहले, ईडी ने किरण पटेल और अन्य से जुड़े विभिन्न परिसरों में 19.05.2023 को पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज/रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए थे।

आगे की जांच जारी है।